


## रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली सार्वजनिक नोटिस

जनसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित आवेदक ने नीचे सारणी के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सम्पत्ति, जो प्राधिकरण की जवाहर विहार योजना के अन्तर्गत स्थित है, का अंतरण/नामान्तरण अपने नाम कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है:-

क्रम संख्या	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड/ भवन/ प्लैट संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम (पिता/पति का नाम सहित)	आवेदक का पता एवं दूरभाष संख्या	अन्तरण/ नामान्तरण का आधार	पट्टाधृत/पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती नोरीन सैमुअल पत्नी श्री अनिल सैमुअल निवासी एम0आई0जीद्वितीय-40, जवाहर विहार कालोनी रायबरेली	भवन संख्या एम0आई0जी0 11-40	जवाहर विहार योजना	श्री अमन सैमुअल पुत्र स्व0 अनिल सैमुअल	निवासरी एम-11-40, जवाहर कालोनी सुलतानपुर रोड रायबरेली	मृत्यु उपरान्त नामान्तरण	पूर्ण स्वामित्व युक्त सम्पत्ति

यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त भवन/भूखण्ड के अन्तरण/नामान्तरण के विरुद्ध कोई आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्तियां सहायक दस्तावेजों सहित इस नोटिस के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 30 दिन के भीतर सचिव, रायबरेली विकास प्राधिकरण, रायबरेली को प्रस्तुत कर सकता/सकती है अन्यथा स्तम्भ-5 में अंकित व्यक्ति के नाम से सम्पत्ति का अंतरण/नामान्तरण प्राधिकरण के अभिलेखों में दर्ज कर दिया जायेगा और कोई पश्चातवर्ती दावा, यदि कोई हो, ग्रहण नहीं किया जायेगा।

  
 सचिव  
 रायबरेली विकास प्राधिकरण  
 रायबरेली।